न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी — डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
11 / 2020	2020 / 00043	08.10.2020	24.05.2024

1. श्रीमती लक्ष्मीबाई पुत्री कालु जी पत्नि धमेन्द्र जाति चमार निवासी मलावदा हाल निवासी केसुन्दा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. श्री सुखी बाई बेवा कालु जी चमार निवासी मलावदा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री धनराज पुत्र कालु जी चमार निवासी मलावदा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री बबलु पुत्र मदनलाल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता पुष्पाबाई पत्नि मदनलाल जाति चमार निवासी मलावदा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. सु. श्री पूर्वा पुत्री मदनलाल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता पुष्पाबाई पत्नि मदनलाल जाति चमार निवासी मलावदा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
5. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नि मदनलाल जाति चमार निवासी मलावदा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
6. श्रीमती कुशा बाई पुत्री कालु जी पत्नि देवीलाल जाति चमार निवासी मलावदा हाल निवासी गोदावरी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
7. श्रीमती ललीता बाई पुत्री कालु जी पत्नि मदनलाल जाति चमार निवासी मलावदा हाल निवासी बासखेड़ी तहसील एवं जिला नीमच (म.प्र)
8. श्रीमती चन्दा बाई पुत्री कालु जी पत्नि मुकेश जाति चमार निवासी मलावदा हाल निवासी चांदौली तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
9. श्रीमती टीना पुत्री कालु जी पत्नि दशरथ जाति चमार निवासी मलावदा हाल निवासी केसुन्दा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
10. श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— विपक्षीगण

अपील विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 27.01.2003 वाके मौजा मलावदा द्वारा न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी के क्रम में।

उपस्थिति :—
1. श्री रोहिताश्व पंचौली (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. विपक्षीगण स्वयं

—: आदेश :— दिनांक :—24.05.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 382 स्वीकृत दिनांक 27.01.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मलावदा के खाता संख्या 34 में दर्ज आराजी संख्या 640, 905, 914, 968, 969, 978 कुल किता 6 सम्पूर्ण रकबा 5.65 हैक्टर भूमि अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्टगण 1 से 9 के मौरूषी पुरूष स्वर्गीय कालु पुत्र भगवाना चमार साकिन देह मलावदा के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

516

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

सरवरक

यह कि मौरूषी पुरूष मृतक कालु पुत्र भगवाना चमार की मृत्यु के दौरान वर्तमान सजरा खानदान अनुसार वारीसान की स्थिति निम्न प्रकार थी।

कालु पुत्र भगवाना

सुखी (पत्नि)	धनराज (पुत्र)	मदनलाल (पुत्र) (फौत)	कुशाबाई (पुत्री)	ललीता (पुत्री)	चन्दा (पुत्री)	टीना (पुत्री)	लक्ष्मी (पुत्री)
रेस्पो.–1	रेस्पो–2	मृतक के बजाय	रेस्पो–6	रेस्पो–7	रेस्पो–8	रेस्पो–9	अपीलार्थिया
	रेस्पो–3	बबलु					
	रेस्पो–4	पुर्वा					
	रेस्पो–5	पुष्पा बाई					

किन्तु वक्त विरासत से नामान्तरकरण की कार्यवाही राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा समुचित जानकारी के अपीलार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थियों ऋण लेने की आवश्यक्ता के चलते नकल प्राप्त करने पर हुई। जिसके आधार पर अपील विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण के प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित नामान्तरकरण को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थिया के मृतक कालु की जायन्दा पुत्री होने के अनुसार संशोधित नामान्तरकरण हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट समस्त रेस्पोडेन्टगण न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित हो प्रस्तुत अपील बिन्दुओं के संबंध में अपनी सहमती व्यक्त की गई। प्रकरण में बहस अपीलार्थी अधिवक्ता अनुसार अपीलार्थिया अपने मौरूषी पिता की कृषि भूमि में अपने हक हिस्से अनुसार अपना नाम अंकन कराना चाहती है। जिसके लिए माननीय न्यायालय हाजा स्तर से विवादित नामान्तरकरण को निरस्त कर बाद जांच विधिवत् नामान्तरकरण हेतु आदेश फरमावे।

उपरोक्त विवेचन की रोशनी में प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज एवं अपील मेमों तथा नकल नामान्तरकरण प्रति संख्या 382 दिनांक 27.01.2003 के गहन अवलोकन एवं अध्ययन से संज्ञान में आया कि वक्त विरासत से इन्तकाल के दौरान निष्पादित नामान्तरकरण अन्तर्गत अंकित सजरा खानदान में अपीलार्थिया का नाम दर्ज नहीं है। किन्तु प्रस्तुत अपील कार्यवाही के दौरान उपस्थित अन्य सभी रेस्पोडेन्ट वारीसान द्वारा इस संबंध में सहमती व्यक्त किया जाना दर्शित हुआ है। जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति दर्शित रिकार्ड नहीं पायी गई है।

अतः अपील अपीलार्थिया आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को निर्देशित किया जाता है कि मृतक मौरूषी पुरूष कालु पुत्र भगवाना चमार निवासी मलावदा के विधिक वारीसान में की समुचित जांच करते हुए अपीलार्थिया के विधिक वारीसान में शुमार पाये जाने पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 27.01.2003 को अपास्त किया जाकर संशोधित नामान्तरकरण निष्पादित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ

जिला कलक्टर प्रतापगढ़